ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

सतत् जीविकोपार्जन योजना
एक नई राह

माह – फरवरी 2023 ।। अंक – 19

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना से
अजमेरी खातून के
जीवन में आया बदलाव
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से
मिला नया जीवन
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना
जिला एवं राज्य स्तरीय गतिविधियां
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना के समान व्यवसाय से जुड़े लाभार्थियों का कलस्टर निर्माण

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित परिवार जीविकोपार्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सफलता पूर्वक संचालित कर रही हैं। राज्य के कुछ प्रखंडों में सतत् जीविकोपार्जन योजना से आच्छादित परिवारों में एक ही तरह की गतिविधि कर रहे परिवारों के गतिविधियों को अधिक लाभकारी बनाने हेतु कई प्रखंडों में क्लस्टर एवं उत्पादक समूहों का निर्माण किया गया है।

सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड में सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े कुछ परिवारों ने पौष्टिक खाद्य सामग्री की उपलब्धता एवं अपनी आय को बढ़ाने के लिए मशरुम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। आज इन परिवारों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इन सभी लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक मशरूम क्लस्टर का निर्माण किया गया है। अच्छी गुणवत्ता वाला मशरूम उत्पादन एवं उचित कीमत हेतु बाजार से जुड़ाव के लिए इन परिवारों को संगठित कर 'परिधि जीविका महिला मशरुम उत्पादक समूह' का गठन किया गया है।

रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के में तिलोखर, यदुनाथपुर, तिउरा और तियारा पंचायत में आने वाले गाँव पहाड़ी क्षेत्र में फैले भूभाग में बसे हैं। इस क्षेत्र में सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत कुल 53 लाभार्थियों के द्वारा बकरी पालन किया जा रहा है। चारो पंचायत के लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए बकरी क्लस्टर का निर्माण किया गया है। साथ ही सभी 53 लाभार्थियों को सम्मिलित करके 'विकास जीविका महिला बकरी उत्पादक समूह' बनाया गया है। उत्पादक समूह के सदस्यों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक पंचायत में एक प्रशिक्षित पशु सखी कार्यरत हैं। इन पशु–सखियों के माध्यम से बकरी पालक दीदियों को बकरी पालन में प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके अन्तर्गत बकरी के आवास, भोजन, स्वास्थ्य, प्रजनन एवं बाजार के महत्व को समझाया जाता है। बकरी उत्पादक समूह से जुड़े सदस्यों के बकरियों को विभिन्न बीमारियों से बचाने एवं सुगमता से उपचार हेतु टीकाकरण केंद्र के स्थापना की योजना है। इसके साथ ही बकरियों के बिक्री हेतु 'बकरी हाट' शुरू करने की योजना है।

सारण जिला के मांझी प्रखंड के 'विराट महिला संकुल स्तरीय संघ' के कार्यक्षेत्र में सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी 22 दीदियों ने स्वरोजगार के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। दीदियां सिक्की का उपयोग कर हस्तनिर्मित डलिया, पेन स्टैंड, सिक्की पोला चूड़ी, कानबाली, दूल्हन सेट चुड़ी इत्यादि का निर्माण कर स्थानीय स्तर पर बेचने का कार्य करती हैं। इन 22 दीदियों को संगठित कर 'कुशाग्राम जीविका महिला सिक्की उत्पादक समूह' का गठन किया गया है। इस उत्पादक समूह के द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित एवं बिक्री हेतु पटना में आयोजित 'सरस मेला' में एक स्टॉल आवंटित किया गया था, जिसमें लगभग 41,000 रुपए की बिक्री होने से उत्पादक समूह के सदस्यों के उत्साह में बढ़ोतरी हुई है। इस उत्पादक समूह की दीदियों के लिए 'शिल्पग्राम' के माध्यम से समय–समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करने की योजना है ताकि इस कला में सभी सदस्य दीदियां निपुण होकर कारोबार को बढ़ा पाएंगी।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से अजमेरी खातून के जीवन में आया बदलाव

सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर कला गाँव की अजमेरी खातून सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। अजमेरी खातून के पति दिव्यांग हैं। उनके पति देशी शराब का कारोबार कर अपने परिवार का पालन–पोषण करते थे। वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बाद उनके शराब का कारोबार बंद हो गया। जिसके बाद इनके परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

इनके दयनीय हालत को देखते हुए 'एकता जीविका महिला ग्राम संगठन' द्वारा अजमेरी खातून को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मिली आर्थिक मदद से 21 अक्टूबर 2020 को अजमेरी खातून का किराना दुकान खुलवाया गया। कुछ माह बाद दुकान की आमदनी में से बचत कर इन्होंने 7,200 रुपये में एक सिलाई मशीन खरीद लिया। इसके बाद वह कपड़ा सिलाई का कार्य भी करने लगी। सिलाई कारोबार का विस्तार करते हुए उन्होंने 4 सिलाई मशीन खरीद लिया। सिलाई करने के साथ–साथ इन्होंने स्थानीय गरीब महिलाओं को रियायती दर पर सिलाई का प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरु कर दिया है।

आमदनी बढ़ाने के लिए अजमेरी खातुन ने व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाना शुरु कर दिया। वह अपने दुकान पर किराना के साथ–साथ श्रृंगार, हरी साग–सब्जी, अंडा, आमलेट, पकौड़ी, समोसा, आलूचाप सहित अन्य दैनिक जरूरत की समाग्री भी बेच लेती हैं। इसके अलावा वह थोड़ी जमीन पर खेती कर रही है। साथ में वह 11 बकरियां भी पाल रही हैं।

वर्तमान समय में बीमा, नल–जल–योजना, जनवितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन आदि का भी लाभ ले रही हैं। योजना से मिली 55 हजार रुपये की पूंजी को बढ़ाकर इन्होंने 1 लाख 13 हजार से अधिक कर लिया है। सभी स्रोतों से इन्हें प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये के बीच कमाई हो रही है।

स्वरोजगार से सँवरी जिंदगी

पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल प्रखंड अंतर्गत राजेपुर नवादा पंचायत के नवादा गाँव में निवास करने वाली चंदा देवी के पति ताड़ के पेड़ पर चढ़ते समय फिसलकर गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। उनके पति की मृत्यु के बाद परिवार का आमदनी एकदम से बंद हो गयी। वह दूसरे के खेतों में मजदूरी कर किसी तरह से अपने बच्चों का पालन–पोषण कर रही थी।

इनके परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए 'संगीत जीविका महिला ग्राम संगठन' द्वारा चंदा दीदी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रुप में किया गया। इसके बाद योजना के तहत ग्राम संगठन द्वारा चंदा देवी के लिए उनके इच्छानुसार किराना दुकान का माइक्रो प्लानिंग किया गया। चंदा देवी को ग्राम संगठन द्वारा 14,500 रुपये की संपत्ति हस्तांतरण करवाया गया। चंदा देवी उपने किराना दुकान को अच्छे से चला रही हैं। दीदी को ग्राम संगठन से जीविकोपार्जन अन्तराल राशि के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह के दर से सात माह में 7,000 रुपये भी दिया गया। दीदी को विशेष निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये जनवरी 2021 में दिया गया। चंदा देवी को व्यवसाय विविधीकरण की जानकारी एमआरपी एवं बीआरपी द्वारा समय–समय पर दी गई। जिसके बाद चंदा देवी किराना दुकान के साथ–साथ गाय पालन एवं बकरी पालन भी शुरू किया। इससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। चंदा देवी आज अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है। दीदी की व्यवसायिक संपत्ति बढ़कर 1,00,279 रुपये हो गयी है। चंदा देवी की मासिक आय 9,000 रुपए से अधिक है। वह अपना बीमा भी बैंक के माध्यम से करवाई हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिला नया जीवन

जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड में निवास करने वाली उषा देवी का जीवन काफी संघर्षमय रहा है। वह मुसहर समुदाय से आती हैं। उनके पिता और परिवार के सभी सदस्य देशी शराब के व्यवसाय से जुड़े थे। बचपन से ही शराब उत्पादन में जुड़ी उषा देवी को कभी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। आर्थिक तंगी की वजह से कम उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई थी। शादी के बाद उनके पति रामेश्वर मांझी उषा देवी को छोड़ कर कहीं चले गए। उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ढूँढ़ने की काफी प्रयास किया पर ढूढ़नें में विफल रहे। दीदी वापस अपने मायके लौट गईं और पहले की तरह शराब व्यवसाय में जुड़ गयीं।

शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद परंपरागत रूप से देशी शराब एवं ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवारों कों स्थायी रोजगार देने हेतु बिहार सरकार द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया। इस योजना के तहत उषा देवी की आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें वर्ष 2021 में सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया।

इस योजना के तहत उषा देवी को किराना दुकान खोलने के लिए आरंभिक पूँजी के रूप में बीस हजार रूपये तथा जीवन निर्वाह हेतु मदद के रूप में सात माह तक एक हजार रूपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की गयी। कुछ ही समय में दुकान के मुनाफे से उषा देवी ने 4 बकरियां खरीदी। वर्त्तमान में उषा दीदी के पास 64 बकरियां है। योजना के तहत वह 'ग्रेजुएट' हो चुकीं है। उन्हें द्वितीय किश्त की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। उषा देवी अपने दुकान एवं बकरी पालन से प्रति माह 12 से 15 हजार रुपये मुनाफा अर्जित कर रही हैं। दीदी की संपत्ति लगभग 3 लाख की हो चुकी है। गाँव में अब उषा देवी की एक अलग पहचान बन चुकी हैं।

आर्थिक स्वावलंबन की बानगी सावित्री की कहानी

कल तक सौ रुपये के लिए भी मोहताज 'गीता जीविका स्वयं सहायता समूह' की सदस्य सावित्री दीदी की कुल परिसंपत्ति अब लगभग ढाई लाख रूपये है। लखीसराय जिला अंतर्गत रामगढ़ चौक स्थित ससंडा गाँव की सावित्री को सतत् जीविकोपार्जन योजना ने लखपतिया एवं स्वावलंबी बनाया है। सावित्री दीदी अपने पति मोहन बिंद के साथ खेतों में मजदूरी किया करती थी। मजदूरी से जीवनयापन मुश्किल से हो पाता था। कभी काम मिलता तो कभी खाली हाथ बैठना पड़ता था। परिवार का भरण–पोषण ठीक से नहीं हो पाता था। अनुसूचित जाति में शामिल सावित्री का परिवार गाँव के अत्यंत गरीब परिवार में से एक था। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 में सतत् जीविकोपार्जन योजना से सहयोग देने के लिए इनके नाम का अनुमोदन 'प्रेम जीविका महिला ग्राम संगठन' ने किया। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 16 हजार रुपये की लागत से इन्होंने बकरी पालन शुरू किया। इन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10 हजार रुपये और जीविकोपार्जन अंतराल सहयोग राशि के तहत प्रति माह एक हजार रुपये सात माह तक दिया गया। 3 बकरी से शुरू हुआ कारोबार 14 बकरी तक पहुँच गया है। इस बीच इन्होंने 8 खस्सी और 2 पाठा को 40 हजार रुपये में बेचकर एक गाय खरीद लिया है। अब गाय का दूध बेचकर सावित्री प्रति माह औसतन लगभग आठ हजार रूपये कमा रही हैं। सावित्री देवी दस कट्ठा खेत बटइया पर लेकर खेती कर रही हैं। जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किश्त की 11 हजार रुपये भी इन्हें मिल प्राप्त हो गयी है। इनके सभी 5 बच्चे पढाई कर रहे हैं। सावित्री देवी बताती हैं कि जीविका और सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उनके जीवन में खुशहाली लाई है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना
जिला एवं राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

बी.आर.ए.सी के दल का बिहार भ्रमण

बिहार सरकार द्वारा ग्रेजुएशन मॉडल पर आधारित सतत् जीविकोपार्जन योजना के उच्च स्थरीय कार्यान्वयन को समझने हेतु बांग्लादेश रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस समिति द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया गया। अल्ट्रा–पुअर ग्रेजुएशन इनिशिएटिव के प्रबंध निदेशक ग्रेगरी चेन, बी. आर.ए.सी इंटरनेशनल और फिलीपींस, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के टीम से कुल 12 सदस्यों ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के संचालन को समझने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण किया। एक्सपोजर विजिट के दौरान बी.आर.ए.सी इंटरनेशनल टीम के सदस्यों ने नालंदा, पटना एवं वैशाली जिला के सतत् जीविकोपार्जन योजना के प्रतिभागियों, ग्राम संगठन–संकुल स्तरीय संघ के सदस्यों, मास्टर संसाधन सेवी और जीविका के राज्य टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की और सतत् जीविकोपार्जन योजना के विभिन्न घटकों से अति गरीब वर्ग को हो रहे लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

आयुष्मान भारत कैंप, समस्तीपुर

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अभिसरण घटक अंतर्गत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड हेतु कैंप का आयोजन किया गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत समस्तीपुर जिले के 20 प्रखण्डों मे कुल 6,322 चयनित परिवार हैं, जो सतत् जीविकोपार्जन योजना मे जुड़ने से पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से विमुख थे। इस योजना से जुडने के पश्चात कैम्प के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों के 3500 से ज्यादा एस.जे.वाई. लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड का लाभ दिलाया गया। इस योजना का लाभ पाने से सभी लाभान्वित लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान हो सकेगी। साथ ही सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।

उत्पादक समूह का गठन

मांझी प्रखंड के बरेजा पंचायत में 'विराट महिला जीविका संकुल स्तरीय संघ' के तहत सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े हुए 22 दीदियों द्वारा 'सिक्की हस्तशिल्प उत्पादक समूह' का गठन किया गया। पुर्व में यह सभी 22 दीदियों के परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ताड़ी एवं शराब उत्पादन या बिक्री से जुड़े थे। सिक्की की कला इस समुदाय की महिलाओं में कई पीढ़ियों से चली आ रही है परन्तु ये केवल घरेलु इस्तेमाल के लिए बनाया जाता रहा है। इस कला के व्यवसायिक उपयोग के बारे में दीदियों को योजना से जुड़ने के बाद पता चला। सर्वसम्मति से उत्पादक समूह का नाम कुशग्राम जीविका महिला सिक्की उत्पादक समूह रखा गया है। उत्पादक समूह द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण के साथ–साथ उचित मूल्य की प्राप्ति हो सके।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन – राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)
- श्री रतिस मोहन परियोजना प्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, सिवान
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार